Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

संतोकराम बनाम छैला वगैरह

किस्म मुकदमा :– राजस्व वाद, नम्बर :– 165/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2018	वकील वादी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–डिगरना में वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत् पेश किया। वादी का दावा बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने निवेदन किया कि मौजा–डिगरना, तहसील–जैतारण के खसरा नम्बर 109, 209, 875, 876, 879, 886, 887, 888 क्रमशः रकबा 6–15, 18–10, 11–17, 6–17, 4–11, 3–10, 9–16, 11–19 बीघा में हीरा पुत्र बींजा जाति–बावरी के नाम दर्ज थी। जबकि हीरा के देहान्त के बाद छैला, बादर, बाबू का नाम ही दर्ज हुआ। संतोकराम हीरा का पुत्र हैं। संतोकराम नाम दर्ज होने से रह गया। बाबू का स्वर्गवास होने से इनके पत्नि समुदेवी पत्नि बाबु एवं नाबालिग पुत्र भैराराम, पृथ्वीराज हैं। संतोकराम का नाम रहा जाने से उनको खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। राजस्व लोक अदालत में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। राजीनामा पेश किया। राजीनामा छैला बादर एवं बाबू की पत्नि समुदेवी एवं भेराराम, पृथ्वीराज पुत्र बाबू ने पेश किया। संतोकराम हीराराम का पुत्र होना राजीनामा से प्रमाणित हैं। वादी का नाम दर्ज किया जाता हैं, तो प्रति0 को कोई आपति नहीं हैं। मजमा–ए–आम में फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें गांव के मौजिज व्यक्तियों एवं सरपंच ग्राम पंचायत, पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक ने हस्ताक्षर किये कि वादी हीरा का पुत्र हैं, हीरा फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय नाम दर्ज होने से रह गया। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। संतोकराम को प्रतिवादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा–डिगरना, तहसील–जैतारण के खसरा नम्बर 109, 209, 875, 876, 879, 886, 887, 888 क्रमशः रकबा 6–15, 18–10, 11–17, 6–17, 4–11, 3–10, 9–16, 11–19 बीघा भूमि में वादी संतोकराम को प्रतिवादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। (मोहनलाल खटवावलिया) उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)	

14/12/18

प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC का पेश करने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा०पत्र धारा 152 CPC का पेश किया कि वादी ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादी के अपना नाम इन्द्राज करवाने का पेश किया जिसमें वादी का वाद डिग्री कर दिया परन्तु डिग्री पर्चा में मौजूदा पीठासीन अधिकारी का नाम नहीं लिखते हुए टाईप की त्रुटि से पूर्व पीठासीन अधिकारी का नाम इन्द्राज कर दिया जिससे राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने में तकलीफ हो रही है। इसलिए डिग्री पर्चा में पूर्व पीठासीन अधिकारी के बजाय मौजूदा का नाम दर्ज किया जावे। प्रा०पत्र स्वीकार करने का आदेश फरमावें।

पत्रावली मय आदेशिका, डिग्री पर्चा दिनांक 13/6/18 का अवलोकन किया गया। टाईप सहवन से डिग्री पर्चा में पूर्व पीठासीन अधिकारी का नाम इन्द्राज हो गया। अतः दिनांक 13/6/18 को जारी डिग्री पर्चा के सम्बन्ध में दर्ज पूर्व पीठासीन अधिकारी के नाम के स्थान पर वर्तमान पीठासीन अधिकारी का नाम दुरुस्त किया जावे। संशोधित डिग्री पर्चा जारी हो। डिग्री पर्चा की प्रति तहसीलदार जैतारण को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर होवे। आज्ञा जारी हो।

500.

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर0ए0एस0**

वादी :–

1. संतोकराम पुत्र हीराराम
   जाति–बावरी, निवासी–डिगरना
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादी :–

1. छैला पुत्र हीराराम
2. बादरराम पुत्र हीराराम
3. समुदेवी पत्नि बाबुराम
4. भेराराम पुत्र बाबुराम
5. पृथ्वीराज पुत्र बाबुराम
   नाबालिग की वलिया माता
   समुदेवी पत्नि बाबु
6. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार, जैतारण
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 165/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा–डिगरना, तहसील–जैतारण के खसरा नम्बर 109, 209, 875, 876, 879, 886, 887, 888 क्र मशः रकबा 6–15, 18–10, 11–17, 6–17, 4–11, 3–10, 9–16, 11–19 बीघा भूमि में वादी संतोकराम को प्रतिवादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–डिगरना में आज तारीख 14/12/2018 को जारी किया गया ।

मोहर

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।